भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2600
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: नारियल विकास बोर्ड

2600. श्री जी. एम. हरीश बालयोगीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और घटकों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) बोर्ड द्वारा स्थापित राज्यीय केंद्रों, क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों और अन्य अवसंरचना, जैसे कि प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म, क्षेत्रीय नर्सरी, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएँ, आईटी केंद्र और उत्कृष्टता केंद्र की संख्या और स्थान का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त सुविधाओं के क्षेत्रीय वितरण और पहुँच के संबंध में, विशेषकर उभरते या अल्पसेवित नारियल उत्पादक क्षेत्रों में, कोई मूल्यांकन किया गया है; और
(घ) सरकार द्वारा देश में नारियल किसानों के बीच क्षेत्रीय पहुँच और प्रौद्योगिकी को अपनाने में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश भर में नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और घटकों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। 2025-26 के लिए सीडीबी योजना के तहत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन **अनुबंध II** में दिया गया है।

(ख): बोर्ड द्वारा स्थापित राज्य केन्द्रों, क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या और स्थान का विवरण **अनुबंध III में** दिया गया है।

(ग): नारियल की खेती के लिए उपयुक्त सभी संभावित क्षेत्रों को कवर करने के लिए बोर्ड के पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूरे भारत में 25 प्रतिष्ठान हैं। बोर्ड के कार्यालय विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के अंतर्गत और उभरते/अल्पसेवित क्षेत्रों में नारियल किसानों की सहायता के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए नियमित रूप से आधारभूत सर्वेक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

(घ): बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य केंद्रों/डीएसपी फार्मों/अन्य यूनिट कार्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण नारियल पौध उत्पादन, नारियल उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, मूल्य संवर्धन, विपणन, जागरूकता कार्यक्रम, बीमा आदि के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न नारियल उत्पादक राज्यों में 436.42 करोड़ रुपये के फंड का उपयोग किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(रुपए लाख में)

वर्ष	वित्तीय लक्ष्य (कुल)	वित्तीय उपलब्धि (कुल)	वित्तीय उपलब्धि (क्षेत्र-उन्मुख योजनाएँ)
2022-23	11000.00	10751.58	5972.29
2023-24	15613.00	15040.85	10153.28
2024-25	17500.00	17849.95	13030.57
कुल	**44,113.00**	**43,642.38**	**29,156.14**

- पिछले वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्र-उन्मुख योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धि का विवरण **अनुबंध IV** में में दिया गया है।
- सीडीबी ने किसानों को नारियल की खेती पर क्षेत्र-विशिष्ट प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने तथा गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन के लिए विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में 11 डीएसपी फार्म स्थापित किए।
- बोर्ड ने विभिन्न नारियल उत्पादक क्षेत्रों के किसानों के खेतों में वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों का प्रदर्शन किया है, जिसका उद्देश्य 'प्रदर्शन भूखंड का लेआउट' और 'पुनर्रोपण एवं पुनरूद्धार' जैसी योजनाओं के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, एलओडीपी योजना के तहत 183.23 करोड़ रुपये की लागत से 54725 हेक्टेयर और आर एंड आर योजना के तहत 156.63 करोड़ रुपये की लागत से 30481 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
- पिछले 5 वर्षों के दौरान, 14.25 करोड़ रुपये की राशि से 'नारियल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार' योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों का पालन करते हुए 23100 हेक्टेयर क्षेत्र को नारियल की खेती के अंतर्गत लाया गया।
- विभिन्न विस्तार टूल्स के माध्यम से किसानों, उद्यमियों और स्टेकहोल्डर्स के बीच बोर्ड की गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रचार-प्रसार और उत्पाद प्रचार अभियान चलाया गया।

- भारत में अपने क्षेत्रीय और राज्य केंद्रों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। पिछले 5 वर्षों के दौरान, बोर्ड ने पूरे देश में 1180 जागरूकता कार्यक्रम (राज्य स्तरीय संगोष्ठी, जिला स्तरीय संगोष्ठी, ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी, एफपीओ बैठक, राज्य के भीतर अनुभव भ्रमण, किसान प्रक्षेत्र दिवस कार्यक्रम और नारियल पर प्रचार गतिविधियाँ) आयोजित किए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 668 जागरूकता सह कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- बोर्ड सात भाषाओं, अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, मराठी और तेलुगु में पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है। अंग्रेजी में प्रकाशित यह पत्रिका, जिसका शीर्षक "इंडियन कोकोनट जर्नल" है, भारत में प्रगतिशील किसानों, विस्तार कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित होती है। स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित ये पत्रिकाएँ क्षेत्रीय किसानों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पत्रिकाओं के माध्यम से सूचना के नियमित प्रसार से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सुविधा होती है।
- बोर्ड नारियल और नारियल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमीडिया उत्पाद प्रचार अभियान चला रहा है। यह अभियान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चलाया गया। इन प्रयासों से नारियल के गुणों को व्यापक रूप से प्रचारित करने और नारियल उत्पादों की खपत बढ़ाने में मदद मिली है।
- सीडीबी प्रौद्योगिकी संस्थान, अलुवा किसानों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों को कोकोनट कर्नेल बेस्ड सुविधाजनक खाद्य पदार्थों और नारियल पानी आधारित सिरके पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, 'नारियल प्रौद्योगिकी मिशन' योजना के तहत, बोर्ड प्रसंस्करण और उत्पादन विविधीकरण के तहत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए परियोजना लागत के 25% तक अधिकतम 3.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करता है।

अनुबंध ।

सीडीबी योजनाओं और घटकों का विवरण

नारियल विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य देश में उत्पादकता वृद्धि और उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नारियल उत्पादन और उपयोग के एकीकृत विकास करना है।

बोर्ड के चार क्षेत्रीय कार्यालय कर्नाटक के बैंगलोर, तमिलनाडु के चेन्नई, असम के गुवाहाटी और बिहार के पटना में हैं। ओडिशा में पीतापल्ली, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, महाराष्ट्र में ठाणे, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर और गुजरात में जूनागढ़ में छह राज्य केंद्र स्थित हैं। बोर्ड के मांड्या (कर्नाटक), अभयपुरी (असम), मधेपुरा (बिहार), कोंडागांव (छत्तीसगढ़), नेरियामंगलम (केरल), वेगीवाड़ा (आंध्र प्रदेश), पितापल्ली (ओडिशा), पालघर (महाराष्ट्र), ढली (तमिलनाडु), हिचाचारा (त्रिपुरा) और फुलिया (पश्चिम बंगाल) में ग्यारह प्रदर्शन सह बीज उत्पादन (डीएसपी) फार्म हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। दिल्ली में एक बाज़ार विकास एवं सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। बोर्ड ने केरल के अलुवा के निकट वझाकुलम में सीडीबी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) की स्थापना की है। विभिन्न योजनाओं और सीडीबी दिशानिर्देशों के घटकों का विवरण इसकी वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन

1.क. प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म (डीएसपी):

नारियल विकास बोर्ड ने देश भर में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में 11 प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म स्थापित किए हैं।

(i) नए डीएसपी फार्मों की स्थापना - स्थापित किए गए नए फार्मों के लिए बजट से प्रारंभिक दो वर्षों के लिए 30 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाती है।

(ii) मौजूदा डीएसपी फार्मों का रखरखाव - तीसरे वर्ष से लेकर उपज स्थिरीकरण (15-20 वर्ष) तक, फार्मों के रखरखाव के लिए बजट से अधिकतम 1.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर/वर्ष की राशि प्रदान की जाएगी।

1.ख. सार्वजनिक क्षेत्र की नर्सरियों में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उत्पादन के लिए सहायता:

इस योजना का उद्देश्य प्रति पौधा 20 रुपये की दर से पौध उत्पादन लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शेष उत्पादन लागत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन की जाएगी। सभी जारी किस्मों और संकर किस्मों के गुणवत्तापूर्ण पौधे मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके नर्सरियों में उगाए जा सकते हैं।

राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/राज्य बागवानी विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केंद्र और बोर्ड के डीएसपी फार्मों की नर्सरियाँ मौजूदा मानव शक्ति का उपयोग करके रोपण सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

1.ग. न्यूक्लियस नारियल बीज उद्यान की स्थापना:

इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में चयनित किस्मों के न्यूक्लियस नारियल बीज उद्यान स्थापित करना है ताकि संकर किस्मों सहित, जारी की गई किस्मों के गुणवत्तापूर्ण नारियल पौधों की बढ़ती माँग को पूरा किया जा सके।

अच्छे उत्पादन वाली नारियल किस्मों के साथ न्यूक्लियस नारियल बीज उद्यान स्थापित करने के लिए, बोर्ड द्वारा प्रति हेक्टेयर 7.20 लाख रुपये के 50% यानी 3.60 लाख रुपये की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी, जो इस प्रकार है:

- पहली किस्त: 1.80 लाख रुपये/हेक्टेयर (50%)
- दूसरी किस्त: 0.90 लाख रुपये/हेक्टेयर (25%)
- तीसरी किस्त: 0.90 लाख रुपये/हेक्टेयर (25%)

बीज उद्यान स्थापित करने के लिए न्यूनतम **2 हेक्टेयर** क्षेत्रफल आवश्यक है तथा **अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल** के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, **गैर-परंपरागत क्षेत्रों और पूर्वोत्तर (एनई) राज्यों में न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकता में छूट देते हुए इसे 1 हेक्टेयर कर दिया गया है।**

1.घ. लघु नारियल नर्सरी की स्थापना:

यह योजना नारियल नर्सरियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण नारियल पौधों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना आधार पर कार्यान्वित की जाती है।

वित्तीय सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत के 100% तथा निजी क्षेत्र के लिए 50% की दर से प्रति पौधा 90 रुपये तक सीमित है, जिसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता 25,000 चयनित गुणवत्ता वाले पौधे प्रति एकड़ हो। न्यूनतम उत्पादन आवश्यकता 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रति वर्ष 6,250 पौधों की है। तथापि, गैर-पारंपरिक नारियल उत्पादक क्षेत्रों में प्रति इकाई न्यूनतम उत्पादन क्षमता के मानदंड को घटा कर 3,125 पौधे कर दिया गया है।

1.ड. नारियल नर्सरी की मान्यता और रेटिंग:

नारियल विकास बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पादन प्रणाली और रोपण सामग्री और अपनाई गई प्रबंधन पद्धतियों के गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध मान्यता प्रदान करेगा।

- नारियल के पौधों के उत्पादन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई भी सार्वजनिक/निजी व्यक्ति/संस्था इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हो सकता है।
- न्यूनतम 20,000 पौधों के वार्षिक उत्पादन की नर्सरी के लिए अधिकतम 1.50 लाख रुपये, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत का 100% और निजी क्षेत्र के लिए लागत का 100% सहायता के पैटर्न के साथ।

2. नारियल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य उपयुक्त नए क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से नारियल की खेती के लिए किसानों को वित्तीय/प्रोत्साहन सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए मौजूदा क्षेत्र को स्थिर करना है।

• इस योजना के तहत, नए क्षेत्र में नारियल के पौधे लगाने के लिए प्रति हेक्टेयर 56,000 रुपये की वित्तीय सहायता दो समान वार्षिक किस्तों में दी जाती है। यह सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर और न्यूनतम 0.08 हेक्टेयर (20 सेंट) क्षेत्र के लिए दो समान वार्षिक किस्तों में दी जाती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

3. मौजूदा नारियल जोतों में सतत उत्पादकता सुधार के लिए व्यापक कार्यक्रम: नारियल आधारित फसल प्रणाली के माध्यम से उत्पादकता में सुधार:

उद्देश्य:

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समेकित दृष्टिकोण के माध्यम से नारियल जोतों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाना और इस प्रकार एक इकाई जोत से सतत रूप से शुद्ध आय में वृद्धि करना है। यह योजना नारियल आधारित फसल प्रणालियों को बढ़ावा देने सहित विभिन्न एकीकृत प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से उत्पादकता सुधार के प्रमुख कृषि आयामों को पूरा करती है।

प्रचालन का तरीका:

यह योजना संबंधित राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी विभाग के माध्यम से तथा सीधे बोर्ड द्वारा क्लस्टर आधार पर कार्यान्वित की जाएगी।

वित्तीय सहायता:

सब्सिडी लागत का 100% है, अर्थात दो समान वार्षिक किस्तों में 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर तक सीमित है।

4. प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला

दक्षिण वज़्हाकुलम, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल में स्थापित सीडीबी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), नारियल विकास बोर्ड की तकनीकी शाखा है जिसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से नारियल उद्योग का समग्र विकास और संवर्धन करना है। सीआईटी का उद्देश्य नारियल प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण और परीक्षण में प्रगति को एक ही मंच पर समेकित करना है।

की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं: गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, उद्यमिता विकास कार्यक्रम/मूल्यवर्धित नारियल उत्पादों का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रक्रिया प्रदर्शन, मूल्यवर्धित नारियल उत्पादों का प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और मानकीकरण, इंटर्नशिप सुविधा, इनक्यूबेशन सुविधा, परियोजना संबंधी परामर्श आदि।

5. बाजार आसूचना एवं अनुसंधान, सांख्यिकी, उत्पाद एवं ब्रांड संवर्धन और निर्यात संवर्धन सेवाएँ

नारियल विकास बोर्ड बाजार विकास को सुविधाजनक बनाने, बाजार पहुंच बढ़ाने, बाजारों का विस्तार करने, बाजार की मांग के अनुसार गुणवत्ता में सुधार करने और नारियल तथा इसके मूल्यवर्धित

उत्पादों के लिए बाजार को बढ़ावा देने के लिए क्रियाकलाप करता है, जिससे देश में नारियल क्षेत्र का विकास होता है, जैसा कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम में अधिदेशित है।

6. नारियल प्रौद्योगिकी मिशन

• प्रौद्योगिकियों का विकास/प्रदर्शन:

कीट, नाशीजीव और रोग प्रभावित नारियल बागानों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास या प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से प्राप्त परियोजनाओं को अधिकतम 50.00 लाख रुपये तक परियोजना लागत की 100% सहायता दी जाती है।

• प्रौद्योगिकियों को अपनाना:

कीट, नाशीजीव और रोग प्रभावित नारियल बागानों के प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्राप्त परियोजनाओं को परियोजना लागत के 25% (अर्थात 0.40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर) की दर से आनुपातिक आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

• प्रौद्योगिकियों का विकास/अधिग्रहण/प्रशिक्षण/प्रदर्शन

प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास/अधिग्रहण/प्रशिक्षण/प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से प्राप्त परियोजनाओं को परियोजना लागत की 100% सहायता दी जाती है, जो अधिकतम 100.00 लाख रुपये तक सीमित है।

• प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाना

प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण हेतु प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु प्राप्त परियोजनाओं को बैक-एंडेड ऋण पूंजी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की जाती है, जो सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% तक सीमित है और एमआईडीएच मानदंडों और एफपीओ के अनुसार उच्च लागत वाले क्षेत्रों के लिए 50% तक सीमित है। अधिकतम सब्सिडी 300 लाख रुपये तक सीमित है।

• टीएमओसी योजना परियोजना आधार पर है। आवश्यक दस्तावेजों के साथ विस्तृत परियोजना प्रस्ताव बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परियोजना की जांच आंतरिक जांच समिति (आईएससी) द्वारा की जाएगी।

7. नारियल के बगीचों का पुनःरोपण और पुनरूद्धार

इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोगग्रस्त, अनुत्पादक, वृद्ध और जीर्ण ताड़ के पेड़ों को हटाकर, गुणवत्तापूर्ण पौधे लगाकर और बचे हुए ताड़ के पेड़ों को समेकित पद्धतियों के माध्यम से पुनरूद्धार करके नारियल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। यह योजना राज्य-विशिष्ट समस्याओं के आधार पर परियोजना के आधार पर क्रियान्वित की जाती है।

सहायता के घटक और दर

प्रथम वर्ष	पात्रता के अनुसार बगीचे में सभी चिन्हित ताड़ के पेड़ों को काटना और हटाना, प्रति ताड़ 1000 रुपये से लेकर अधिकतम 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर (डीबीटी के माध्यम से)
	पुनरूद्धार कार्यक्रम @ 8750 रुपये/हेक्टेयर
	रोपण सब्सिडी @ 45 रुपये प्रति पौधा, अधिकतम 4500 रुपये प्रति हेक्टेयर
प्रथम वर्ष	पुनरूद्धार कार्यक्रम @ 8750 रुपये/हेक्टेयर।

8. केरा सुरक्षा बीमा योजना

- यह एक व्यापक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे नारियल विकास बोर्ड द्वारा बीमा कंपनियों के सहयोग से नारियल वृक्ष आरोही (सीटीसी), नीरा दोहन (एनटी), संकरण श्रमिकों और नारियल मजदूरों के लिए कार्यान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, नारियल वृक्ष आरोही, नीरा तकनीशियन, संकरण श्रमिक, नारियल के खेतों या लघु नारियल आधारित उद्योगों (पंजीकृत) में काम करने वाले नारियल मजदूर सभी दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं से संबंधित अस्पताल संबंधी खर्चों के लिए बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना कोको मित्र के तहत प्रशिक्षित युवाओं और नारियल विकास बोर्ड द्वारा संचालित डीएसपी फार्मों में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को भी कवर करती है।
- पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम बोर्ड और लाभार्थी के बीच 85:15 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

अनुबंध II

2025-26 के लिए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रवार आवंटन

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वित्तीय (रुपये लाख में)
1	कर्नाटक	2461.75
2	गोवा	194.49
3	महाराष्ट्र	771.13
	क्षेत्रीय कार्यालय बैंगलोर-क्षेत्र	**3427.38**
4	तमिलनाडु	3771.70
5	पुडुचेरी	70.32
6	आंध्र प्रदेश	3040.35
7	तेलंगाना	117.59
8	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	46.96
	क्षेत्रीय कार्यालय कोयंबटूर-क्षेत्र	**7046.91**
9	बिहार	163.73
10	झारखंड	7.40
11	ओडिशा	364.67
12	पश्चिम बंगाल	307.01
13	गुजरात	408.42
15	राजस्थान	1.40
16	छत्तीसगढ़	44.78
17	मध्य प्रदेश	1.72
18	एमडीआईसी, नई दिल्ली	1.50
19	उत्तर प्रदेश	37.50
	क्षेत्रीय कार्यालय पटना-क्षेत्र	**1338.13**
20	असम	803.68
21	त्रिपुरा	338.43
22	नागालैंड	72.40
23	अरुणाचल प्रदेश	77.17
24	मेघालय	43.57
25	मिजोरम	23.84
26	मणिपुर	10.40
	क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी-क्षेत्र	**1369.49**
27	केरल	3104.91
28	लक्षद्वीप	9.68
	मुख्यालय-क्षेत्र	**3114.59**
	कुल	**16296.50**

अनुबंध III

सीडीबी कार्यालय

मुख्यालय: केरा भवन, कोच्चि, केरल	
क्षेत्रीय कार्यालय	
1.	बेंगलुरु, कर्नाटक
2.	कोयंबटूर, तमिलनाडु
3.	गुवाहाटी, असम
4.	पटना, बिहार
राज्य केंद्र	
1.	श्री विजया पुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2.	ठाणे, महाराष्ट्र
3.	विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश
4.	पितापल्ली, ओडिशा
5.	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
6.	जूनागढ़, गुजरात
अन्य इकाई कार्यालय	
1.	बाज़ार विकास-सह-सूचना केंद्र, दिल्ली
2.	सीडीबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साउथ वजाकुलम, अलुवा, केरल
3.	फील्ड कार्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल
प्रदर्शन-सह-बीज उत्पादन फार्म	
1.	मांड्या, कर्नाटक
2.	अभयपुरी, बोंगाईगांव, असम
3.	सिंहेश्वर, मधेपुरा, बिहार
4.	कोंडागांव, छत्तीसगढ़
5.	नेरियामंगलम, एर्नाकुलम, केरल
6.	वेगीवाड़ा, पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश
7.	पितापल्ली, खुर्दा, ओडिशा
8.	पालघर, महाराष्ट्र
9.	धाली, उडुमलपेट, तमिलनाडु
10.	हिचाचारा, दक्षिण त्रिपुरा, त्रिपुरा
11.	फुलिया, नादिया, पश्चिम बंगाल

अनुबंध IV

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान सीडीबी योजनाओं के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रवार वित्तीय उपलब्धि

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	कर्नाटक	1015.37	1345.09	2622.70	5812.08	6660.717
2	गोवा	3.39	11.12	39.68	156.16	170.045
3	महाराष्ट्र	30.33	52.62	52.54	34.68	43.62
	आरओबी-क्षेत्र	**1049.09**	**1408.83**	**2714.92**	**6002.9169**	**6874.382**
4	तमिलनाडु	1936.30	1523.06	1516.34	2056.96	3396.46
5	पुदुचेरी	34.61	25.20	6.40	30.78	30.992
6	आंध्र प्रदेश	1428.81	1227.37	822.40	1246.38	1095.394
7	तेलंगाना	1.32	4.58	5.88	9.36	14.28
8	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.06	0.34	1.59	4.65	5.70
	आरओसी-क्षेत्र	**3403.10**	**2780.55**	**2352.61**	**3348.13**	**4542.82**
9	बिहार	15.78	24.74	28.65	30.32	25.73
10	झारखंड	0	0	0	0	1.5
11	ओडिशा	27.88	86.40	82.95	60.40	137.37
12	पश्चिम बंगाल	16.71	28.19	32.13	42.43	131.59
13	गुजरात	48.22	36.19	17.01	59.89	76.59
14	छत्तीसगढ	35.90	43.53	31.15	27.53	35.64
15	मध्य प्रदेश	0	0	0	0.02	0
	आरओपी-क्षेत्र	**144.49**	**219.05**	**191.89**	**220.59**	**408.42**
16	असम	269.63	32.95	41.81	159.62	356.55
17	त्रिपुरा	84.16	25.61	27.18	69.81	207.19
18	नागालैंड	1.68	38.39	38.81	5.19	0
19	अरुणाचल प्रदेश	35.13	15.26	36.68	8.69	3.49
20	मेघालय	3.33	2.85	2.64	3.39	2.64
21	मिजोरम	4.06	6.40	6.50	2.39	3.00
22	मणिपुर	5.28	10.40	2.08	0	0
	आरओजी-क्षेत्र	**403.27**	**131.86**	**155.7**	**249.085**	**572.87**
23	केरल	224.40	401.40	542.66	315.82	609.69
24	लक्षद्वीप	23.98		14.51	16.73	22.38
	एचओ-क्षेत्र	**248.38**	**401.40**	**557.17**	**332.55**	**632.07**
	कुल	**5248.33**	**4941.69**	**5972.29**	**10153.27**	**13030.57**

******